



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली-110016 /New Delhi - 110016.
Tele.011-26858570/26514179(Fax)
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-E-3042(11)/1/2021-Estt-III

दिनांक: 07.09.2021

ज्ञापन

विषय: वर्ष 2020 के लिए आशुलिपिक ग्रेड- 2 से आशुलिपिक ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नति (मुख्य पैनल)।

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 2 को आशुलिपिक ग्रेड 1 के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 6 में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी गई है। उनको उनके नाम के आगे दर्शाए गए कॉलम 6 में उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15.09.2021 तक पदोन्नति के लिए अपनी बिना-शर्त स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही वे अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining Time) का उपभोग कर आशुलिपिक ग्रेड 1 के पद पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि वे दिनांक 22.09.2021 तक वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होने में विफल रहते हैं, तो पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही वापस ले लिया माना जाएगा और के.वि.सं. (मुख्यालय) के पत्र संख्या 6-6/1999/केवीएस(मुख्यालय)/आरपीएस दिनांक 04.09.2008 के अनुसार दिनांक 22.09.2021 से उन्हें 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठता इत्यादि में भी नीचे हो जायेंगे।

वर्ष 2020 का Main पैनल - (अनारक्षित श्रेणी)

क्र.	वरीष्ठता क्र	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	वर्तनाम सं.का./ मुख्यालय	आवंटित सं.का./मुख्यालय
1	2	3	4	5	6
1	1	रेणु सक्सेना	17.07.1962	केवीएस क्षे.का. जयपुर	केवीएस (क्षे.का) जयपुर
2	2	के वी सत्यावाणी	26.12.1963	केवीएस क्षे.का. हैदराबाद	केवीएस (क्षे.का) मुंबई
3	3	हिमांशु सैनी	04.06.1984	केवीएस क्षे.का. गुरुग्राम	केवीएस मुख्यालय
4	4	अंजाना कुकरीती	02.11.1983	केवीएस क्षे.का. देहारादून	केवीएस मुख्यालय

2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कोटा के अधीन पदोन्नति, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हाल के प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के अधीन है अर्थात् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के उनके समर्थन में जैसा भी मामला हो।
3. कर्मचारी को विकल्प दिया जाएगा कि वह पदोन्नति की तिथि या निचली पोस्ट में वेतन वृद्धि की तिथि से अपना वेतन निर्धारण करवा सकते हैं। परंतु यह विकल्प एक महीने के भीतर दिया जाना चाहिए।
4. कर्मचारी की बीमारी / प्रसूति के कारणों को छोड़कर अन्य किसी आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि का विस्तार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन / जिला अस्पताल या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग / परियोजनाओं के अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से जो स्कूल संलग्न है / एक सैन्य या कमान अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा अनुरोध हो तो विस्तार के लिए केवीएस (मुख्यालय) को दिनांक 22.09.2021 तक उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर पदस्थापन की जगह या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में विस्तार के लिए अनुरोध पर (उपरोक्त पैरा 4 के तहत आने वाले मामले के अलावा) किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(Handwritten Signature)
07/09/21

(धर्मेन्द्र पटेल)
सहायक आयुक्त (स्थापना-2/3)

वितरण:

1. संबंधित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि उन्हें दिनांक 15.09.2021 तक अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित करें। यदि उन्हें पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार हो तो दिनांक 22.09.2021 तक या उससे पहले कार्यमुक्त हो, यदि वह इस तिथि तक कार्यमुक्त नहीं हो पाता तो उन्हें दिनांक 22.09.2021 को कार्यमुक्त माना जाएगा।
2. संबंधित उपायुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वे दिनांक 15.09.2021 तक अपनी बिना-शर्त सहमति संबंधित उपायुक्त के माध्यम से के.वि.सं. (मु.) को भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी सहमति बिना किसी शर्त के प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि वे अपनी पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते और इस संबंध में उन्हें बिना किसी पत्राचार के इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा और यदि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे नियुक्ति के नए स्थान पर दिनांक 22.09.2021 तक कार्यभार ग्रहण कर सकें।
3. उपायुक्त के.वी.एस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे पदोन्नति पर पदस्थ कर्मचारी की कार्यभार ग्रहण की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें।
4. वित्त अधिकारी, के.वि.सं., संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय।
5. अनुभाग अधिकारी, (भर्ती एवं पदोन्नति अनुभाग), के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली।
6. उपायुक्त (ईडीपी), के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।

नोट:- यदि इस परिपत्र के हिन्दी अनुवाद की विवेचना में कोई अन्तर पाया जाता है तो अंग्रेजी रूप मान्य होगा।

सहायक आयुक्त (स्थापना-2/3)